

राजस्थान सरकार
राजस्व गृह-6 विभाग

जयपुर, दिनांक:- 29.1.05

सं:- 288 राज-6/2000 पाठ/2

राजस्थान जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

परिपत्र

गुमदानी गांव की सम्पूर्ण भूमि राजस्व रिकार्ड में गुमसभा के नाम दर्ज होने से गांव के किसानों को गुमसभा के द्वारा जारी भू-आवंटन फट्टों के आधार पर छातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है, इसी कारण गुमदानी गांव के किसानों को ओलावृष्टि आदि से फसल नष्ट होने पर सहायता या ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत नियमानुसार किसानों को देय अनुदान नहीं मिल पाता।

राज्य में गुमदानी गांवों के कृषकों को गुमदानी नियमों के अन्तर्गत जारी भू-आवंटन फट्टों की भूमिधारिता के अनुरूप उनको वर्गीकृत किया जावे ताकि अन्य गांवों के किसानों की भांति नियमानुसार देय लाभ मिल सके।

राज्यपाल की आज्ञा से


उप शासन सचिव